





न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर धोरीमन्ना-बाड़मेर

उनवान: मोहन बनाम अणसी

प्रा०पत्रसं० 92/2025

GCMS NO 2025/255

किस्म मुकदमा:- राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 रा.क.अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज आदेशिका	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तागील में जारी हुए।
21.07.2025	<p>वादी के वकील श्री रामनिवास विश्णोई ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जो बाद जांच दर्ज रजिस्टर हो। तहसील कार्यालय में तामिल कुनिदा का पद रिक्त होने के कारण वादी वकील विप्रार्थीगण के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड एडी प्रस्तुत करें। पत्रावली प्रतिवादीगण की तलबी का इंतजार होकर आईन्दा दिनांक 16.09.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">             (भागीरथराम)            सहायक कलक्टर            धोरीमन्ना         </p> <p>30/7/25 वादी के प्रार्थना पत्र पत्रावली आज पेशी पर लेने के निवेदन पर पत्रावली आज पेश हो। वादी मम वकुलाग्र एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का बोट के मोजिज लोजों द्वारा आपस में राजीनामा करवा दिया है। वादी अब इस वाद को आगे चलाना नहीं चाहता है। वादी लेख भावना से राजीनामा होने के कारण उक्त वाद को इसी स्टेज पर विडो करना चाहता है।</p> <p>अतः वादी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का उक्त वाद इसी स्तर पर वाद विडो स्वारिज किया जाता है। पत्रावली फेल्ल शुमार होकर दायित्व दफ्तर ले</p> <p style="text-align: right;">             सहायक कलक्टर            SDO धोरीमन्ना         </p>	<p style="text-align: right;">             मोहन         </p> <p style="text-align: right;">  </p>